



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 26.05.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 05 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही- बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 05 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-गौरव पुत्र देशपाल निवासी ग्राम मु०पोईश थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-सोनू पुत्र लियाकत निवासी ग्राम पोईश नगला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-सलमान उर्फ शराकत पुत्र जुबेर उर्फ जबरदीन नि० ग्राम नंगला रवा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4-मंजुर पुत्र जबरदीन नि० ग्राम नंगला रवा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 5-दिलशाद पुत्र जबरदीन निवासी गण ग्राम नंगला रवा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री आरिफ अली थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-है०का०४३९ कुलदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-है०का०६६३ रजनेश सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

4-का01100 सुनील कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 26.05.2025

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 171/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 टीन रिफाइन्ड तेल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 25.05.2025 को थाना खेकड़ा पर वादी बिजेन्द्र कुमार पुत्र हरिसिंह (किराना व्यापारी) निवासी पट्टी रामपुर करबा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा दिनांक- 22.05.2025 को उसकी दुकान से एक रिफाइन्ड तेल का टीन चोरी कर लिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 171/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोर/वांछित

अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 171/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 टीन रिफाइन्ड तेल बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



नोट- उपरोक्त मुकदमे में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजेश पुत्र स्व: श्री रामचन्द्र हाल निवासी ग्राम डूंडाहेडा थाना खेकड़ा जनपद बागपत। व मूल निवासी ग्राम व थाना झरिया जनपद धनवाद (झारखण्ड) ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ 01 टिन रिफाइन्ड तेल ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 यूटी श्री सनुज कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-का0 247 निशान्त शर्मा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3-का0 555 रवि चौधरी थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 26.05.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 134/25 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/109/121(1)/132 बी.एन.एस व 7 सी.एल. एक्ट व 3/25/30 आयुध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 06.03.2025 को थाना बडौत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि दो पक्षों के अभियुक्तों 1.समीम पुत्र इब्राहिम , 2.फखरु पुत्र इब्राहिम , 3.टीनू उर्फ जुनैद पुत्र शराफत , 4.कन्नू उर्फ आरिफ पुत्र फखरु , 5.हफिजू पुत्र नसरुद्दीन , 6. सुहैल पुत्र इरफान , 7.शाकिब पुत्र हफीज , 8.इमरान पुत्र जमील हसन



निवासीगण ग्राम खडखड़ी थाना बडौत जनपद बागपत एवं 20-25 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा विधि विरुद्ध जमाव कर लाठी-डण्डे एवं धारदार-हथियार लेकर एक दूसरे को जान से मारने की नियत से एक दूसरे पर हमला कर शांति व्यवस्था भंग की गयी तथा पुलिस पार्टी पर भी जान से मारने की नियत से फायर किया तथा ईट पत्थरों से हमला किया । इस सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 134/25 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/ 109/121(1)/132 बी.एन.एस तथा 7 सी.एल.ए. एक्ट पंजीकृत किया गया है ।

कार्यवाही

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 134/25 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/109/121(1)/132

बी.एन.एस तथा 7 सी.एल.ए. एक्ट व व 3/25/30 आयुध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट:- थाना बडौत पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में अब तक कुल 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा 04 अभियुक्तों के द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया जा चुका है ।

नोट:- मुकदमा उपरोक्त में दौराने विवेचना प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 3/25/30 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गयी है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फखरु उर्फ फकरुद्दीन पुत्र इब्राहिम उर्फ पालू निवासी ग्राम खड़खड़ी थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 316 नागेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 26.05.2025

थाना रमाला पर आबकारी अधिनियम के कुल 16 अभियोग में 66.5 लीटर अवैध देशी शराब को नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यवाही-

दिनांक 26.05.2025 को मा0 न्यायालय के आदेशानुसार थाना रमाला पर वर्ष 2024 से अप्रैल 2025 तक के आबकारी अधिनियम के कुल 16 अभियोगों में दाखिल 66.5 लीटर अवैध देशी शराब को प्रभारी निरीक्षक रमाला व आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2 बडौत की उपस्थिति में नष्ट किया गया।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 26.05.2025

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अजय कुमार पुत्र रामदेव निवासी ग्राम बूढपुर थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री केदार सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-का0 88 विनित कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-का0 813 दोसेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 26.05.2025

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 145/25 धारा 305 बीएनएस व मु0अ0सं0 86/25 धारा 303(2) बीएनएस चोरी करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 02 मोबाइल फोन बरामद।

1. दिनांक 25.05.2025 को थाना रमाला पर वादी श्री सुरेन्द्र वर्मा पुत्र श्री मांगेराम वर्मा निवासी पट्टी चौधरान शान्तीनगर करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की मोटरसाईकल के थैले से 02 मोबाईल फोन चोरी कर लिये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 145/25 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया।



2. दिनांक 13.04.2025 को थाना रमाला पर वादी प्रिन्स सरोहा पुत्र नीरज सरोहा निवासी पुरमाफी जिला शामली ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी व वादी के साथी 1.आकाश पंवार पुत्र ओमकार सिंह नि0 एलम थाना कांधला जनपद शामली 2.युवराज पुत्र मदनपाल चौहान नि0 ऊंचा गाँव शामली 3.भगत सिंह पुत्र बदलू नि0 बिराल मु0नगर 4.सुमित कुमार पुत्र रघुनाथ नि0 उपरोक्त 5.हिमांशु पुत्र जयप्रकाश नि0 टीकरी बागपत 6.आर्यन चौहान पुत्र महीपाल सिंह नि0 डुन्डूखेडा शामली के विभिन्न कम्पनियों के 07 फोन व एक पर्स गांधी विद्या निकेतन इण्टर कालेज के बाहर बाईक के अन्दर से चोरी कर लिये हैं। इस सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 86/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 145/25 धारा 305 बीएनएस व मु0अ0सं0 86/25 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 02 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट:- बरामदगी के आधार मु0अ0सं0 145/25 में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. दीपक पुत्र नरेन्द्र निवासी ग्राम रमाला थाना रमाला जनपद बागपत ।
2. सोनू पुत्र उत्तर सिंह निवासी ग्राम रमाला थाना रमाला जनपद बागपत ।
3. करण पुत्र राजपाल निवासी ग्राम रमाला थाना रमाला जनपद बागपत ।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग घूम-घूम कर मोबाइल चोरी करते हैं, दिनांक 13-04-2025 को हमने गांधी विद्या निकेतन इण्टर कालेज बुढपुर के बाहर खडी मोटर साइकिलो के बैग से सात मोबाईल चोरी किये थे जिनको हमने दिल्ली में अन्जान लोगों को बेचकर प्राप्त रूपयों को मौज मस्ती में खर्च कर दिया है।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किये हुए 02 मोबाईल फोन HMD 105 4G व HMD 110 4G

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 प्रियांशु थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 पुष्पराज विश्रोई थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 233 धीरेन्द्र कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4-का0 577 अंकुर कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 5-का0 283 अमी कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।